जनपद-संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 07.11.2024

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 17 अभियुक्त गिरफ्तार

● *थाना दुधारा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

● *थाना धनघटा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

● थाना मेहदावल पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 09 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

● थाना बखिरा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 5994 द्वारा सड़क मार्ग में अनियंत्रित बाईक से गिर जाने के कारण घायल 01 बच्ची को भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 5994 को थाना बखिरा क्षेत्रांतर्गत जिगिना से इवेंट सं0 36954 से सड़क मार्ग में अनियंत्रित बाईक से गिर जाने के कारण 01 बच्ची (सलमा पुत्री अब्दुल बहाब ग्राम जिगिना थाना बेलहरकला) के घायल होने के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर समय से पहुँचकर दुर्घटना में घायल हुई बच्ची का पीआरवी कर्मियों द्वारा अस्थानीय अस्पताल से इलाज कराया गया तथा घटना के सम्बन्ध में थाना बखिरा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सुझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुँचकर घायल बच्ची का इलाज कराकर उसके परिजनों को सुपुर्द किया गया, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।
पीआरवी स्टाफ- मु0आ0 धनंजय सिंह, हो0चा0 महेन्द्र मिश्रा।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 191 वाहनों से 2,25,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 07.11.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 191 वाहनों से 2,25,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसहयोग से 01 स्थान पर लगवाये गये 10 सीसीटीवी कैमरे

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर द्वारा चलाये जा रहे ***आपरेशन त्रिनेत्र*** हर घर कैमरा अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में आज दिनांक 07.11.2024 को संतकबीरनगर पुलिस द्वारा जनसहयोग से 01 स्थान पर 10 सीसीटीवी कैमरें लगवाये गये। थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा 01 स्थान पर 10 कैमरा लगवाकर सराहनीय कार्य करने वाले व्यक्ति को माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसामान्य से अपील किया जा रहा है कि वे अपने अपने घरों, कालोनियों व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरें जरुर लगवाएं और कम से कम एक कैमरे से सड़क पर भी निगरानी रखें, जिससे कि अपराधिक व असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखी जा सके, आपका यह छोटा सा प्रयास कानून व्यवस्था बेहतर करने में बहुत कारगर होगा।

आईजीआरएस पोर्टल पर जनशिकायतों के निस्तारण में माह अक्टूबर की मासिक रैकिंग मे जनपद संतकबीरनगर को प्रदेश में मिला प्रथम स्थान

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में जनपद संतकबीरनगर पुलिस को आईजीआरएस पोर्टल पर जनशिकायतों के निस्तारण पर *प्रदेश में प्रथम स्थान* प्राप्त हुआ है। महोदय द्वारा जनपद के समस्त थाना प्रभारी/थानाध्यक्षों को आवश्यक निर्देश दिये गये है कि थाने पर उपस्थित पीड़ित / शिकायतकर्ता के साथ अच्छा तालमेल एवं उनके साथ अच्छे से व्यवहार कर गुण-दोष के आधार पर उभय पक्ष के विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करें। गौरतलब है कि जनशिकायतों का निस्तारण आनलाइन किया जाता है पोर्टल पर प्राप्त संदर्भों का एक निश्चित समय दिया जाता है, जिसे उन संदर्भों को नियत समयावधि के अन्तर्गत निस्तारण किया जाना अनिवार्य है। पोर्टल पर विभिन्न माध्यमों से प्राप्त संदर्भों की जॉच हेतु जाँचकर्ता अधिकारी द्वारा मौके पर जाकर प्रकरण की निष्पक्ष एवं गुणवत्तापरक जाँच कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाती है। उल्लेखनीय है कि आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त संदर्भों का गुणवत्तापरक निस्तारण मे वर्ष-2024 में माह अक्टूबर की मासिक रैकिंग में जनपद को *प्रथम स्थान* प्राप्त हुआ है साथ ही *थाना कोतवाली खलीलाबाद,धनघटा,बखिरा,मेंहदावल,धर्मसिंहवा,साइबर क्राइम थाना एवं महिला थाना* को प्रदेश में *प्रथम स्थान* प्राप्त हुआ है। जनपद में आईजीआरएस पोर्टल पर शासन एवं पुलिस अधिकारियों के स्तर से प्राप्त समस्त संदर्भों का गहराई एवं निष्पक्ष जाँच हेतु निरन्तर पर्यवेक्षण किया जाता रहता है तथा पोर्टल पर प्राप्त संदर्भों की जाँच आख्या प्राप्त होने पर जॉच आख्याओं का भी गहनता से परीक्षण किया जाता है, जॉच पुष्टिकारक न होने पर आईजीआरएस संदर्भ पुनः जॉच के लिए सम्बन्धित अधिकारी को कड़े निर्देश के साथ वापस कर दिया जाता है।

"ऑपरेशन कनविक्शन व "ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आर्म्स एक्ट के मामले में अभियुक्त को 17 दिवस साधारण कारावास व 2000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में ***संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल*** की सशक्त व प्रभावी पैरवी* के फलस्वरुप आज दिनांक 07.11.2024 को ***अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जनपद सन्तकबीरनगर***, जनपद संतकबीरनगर द्वारा *थाना बखिरा* पर पंजीकृत मु0अ0सं0 231/2004 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के मामले में दोषसिद्ध अभियुक्त नाम पता राधेश्याम सिंह पुत्र स्व0 रामलखन सिंह निवासी मुडेरी थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को मु0सं0 8308 मु0अ0स0 231/04 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के मामले में 17 दिन के साधारण कारावास जेल में बिताई गई अवधि तथा 2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने पर 30 दिवस का साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। बरामद नाजायाज देशी कट्टा व कारतूत वाद विवाद अपील नियमानुसार विनष्ट किया जाये।

"ऑपरेशन कनविक्शन" व "ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अपराधिक बल के मामले में अभियुक्त को न्यायालय उठने तक कि अभिरक्षा व 1000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में ***संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल*** के संयुक्त प्रयास के फलस्वरुप दिनांक 07.11.2024 को ***अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जनपद सन्तकबीरनगर*** द्वारा *थाना बखिरा* पर पंजीकृत *मु0न0 6581/2008, मु0अ0सं0 124A/1998* धारा 323, 352 भा0द0वि के मामलें में अभियुक्तगण नाम पता 01- योगेन्द्र कुमार पुत्र राजाराम 02- राजेश पुत्र चन्दर 03- औसान उर्फ एहसान पुत्र हुसैन अली निवासीगण नन्दौर थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को मु0अ0स0 124A/1998 फौजदारी वाद सं0 6581/08 सरकार बनाम औसान आदी अन्तर्गत धारा 323,352 भा0द0वि के मामले जुर्म स्वीकृति के आधार पर दोषसिद्ध किया जाता है। अभि0गण को न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा एव धारा 352, 323 भा0द0वि के अपराध हेतु 1000/- रुपये से दण्डित किया जाता है जुर्माना अदा न करने पर 01 माह का साएधारण कारावास भुगतना होगा। जुमाने की धनराशि में से 500/- रुपये वादी मुकदमा को बतौर क्षतिपूर्ति/प्रति कर देय होगी।